तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-12-19	पत्रावली पेश हुई. वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश अन्तर्गत धारा 212 RT Act सुनाया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 37/2017 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक : 26/07/2017 जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. अशोक कुमार आयु 32 वर्ष आत्मज पन्नालाल जाति मीणा निवासी हाल अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
2. श्रीमती जवाहरी बाई आयु 55 वर्ष बेवा पन्नालाल जाति मीणा निवासी हाल अरनेठा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
3. श्रीमती कमला बाई आयु 57 वर्ष पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम पीपल्दा थाग तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. धन्नालाल आयु 65 वर्ष आत्मज मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पीपल्दा थाग तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. श्रीमती सावित्री बाई आयु 38 वर्ष पुत्री पन्नालाल पत्नी ब्रजराज जाति मीणा निवासी हाल ग्राम हांडीखेड़ा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः — श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

श्री बालकिशन रायका एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः — 26/12/2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट मे प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 2 नया 42 में वर्णित आराजी खसरा न. 54, 55, 56, 400, 400/1412, 540, 541, 542, 561, 563, 612, 773, 787, 1084, 1076, 1231/1381 कुल खसरा किता—18 कुल रकबा 9.36 हैक्टर वाके ग्राम पीपलदा थाग तहसील इन्द्रगढ़ मे स्थित है। विवादित अराजी मे प्रार्थीगण 1 व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2 एवं अप्रार्थी स. 2 का हिस्सा 1/2 तथा प्रार्थीया स. 3 का हिस्सा 2/13 व शेष हिस्सा धन्नालाल का अंकित है। प्रार्थीया स. 3 द्वारा उपरोक्त वर्णित अराजी मे से 2/13 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9/05/2014 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रार्थीगण सामलाति रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। वर्णित अराजी मे प्रार्थीगण स. 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है उक्त अराजी पूर्व मे पन्नालाल आत्म मोती हिस्सा 1/2 थी। पन्नालाल की मृत्यु होने से नामांन्तरण प्रार्थीगण स. 1 व 2 एवं अप्रार्थी स. 2 के नाम खोला गया। अप्रार्थी स. 2 का नाम राजस्व रिकार्ड मे अकिंत होने से भूमि को बेचान करने पर आमादा है। साथ ही अप्राथी स. 1 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देने लगा है इसलिए प्रार्थीगण को आवश्यक हो गया कि अप्रार्थी स. 1 को भी अस्थासी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए। दौराने बाद आप्रार्थीगण को पाबंद नही कराया गया तो अप्राथी स. 2 भूमि का बेचान कर देगी जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नही हो सकेगी और अंत मे निवेदन किया कि अप्राथीगण को दौराने बाद अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उपरोक्त विवादित कृषिभूमि पर अप्राथी स. 1 धन्नालाल का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी स. 1 व 2 का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाए।

हमारे द्वारा उभयपक्षो के विद्धान अधिवक्ताओ की बहस प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट पर सुनी गई प्रार्थी गण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि उपरोक्त विवादित अराजी मे प्राथीगण 1 व 2 एवं अप्रार्थी स. 2 का हिस्सा 1/2 तथा प्रार्थी स. 3 का हिस्सा 2/3 एवं शेष हिस्सा अप्रार्थी स. 1 धन्नालाल का अकिंत है। प्राथीया स. 3 द्वारा वर्णित आराजी मे से 2/13 भाग अप्राथी स. 1 धन्नालाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9/5/2014 से खरीदकर कब्जा काश्त प्राप्त किया था तभी से काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन वाद विषक अराजी सामलाति खाते मे दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्राथी स 2 सावित्री बाई अपने हिस्से का बेचान करने पर आमदा है ओर अन्त मे निवेदन किया कि मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्राथीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि धन्नालाल चंदा जी के 40 वर्ष पूर्व गोद चला गया था उसके बाद चंदा जी की मृत्यु हो गयी और चंदा जी की मृत्यू होने पर धन्नालाल काबिज हो गया प्रार्थीगण स 1 व 2 का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का केश प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है अंत मे प्रार्थना कि गई की प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाए।

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं 2 के अनुसार प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज रिकार्ड है। पन्नालाल का विवादित अराजी मे 1/2 हिस्सा था। पन्नालाल कि मृत्यू के पश्चात अप्राथी स 2 जो पन्नालाल की पुत्री थी उसके नाम भी नामान्तरण तस्दिक करने का आदेश कर दिया गया जबकि पक्षारान अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू उत्ताराधिकार अधीनियम लागू होना नही पाया जाता है इस कारण आप्रार्थी स 2 सावित्री बाई को उसके पिता पन्नालाल की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार होना या नहीं होना मूल दावे मे

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उभयपक्षकारान की साक्ष्यो के उपरांत तय किया जाएगा। न्यायालय मतानुसार मूल वाद के निर्णय तक वाद विषयक आराजी के हस्तातंरण किये जाने के संबन्ध मे पक्षाकारान के मध्य अनावाश्यक वाद बाहुलता को रोकने के लिए वाद विषयक आराजी के संबन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते है इस कारण प्राथीगण का प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है और क्षति का सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतित होता है तथा उभयपक्षाकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दौराने वाद पाबंद किया जाता है कि राजस्व रिकाड जमाबंदी समंत 2069 से 2072 खाता स 2 वाके ग्राम पीपलदा थाग तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मे वर्णित खसरा न. 54, 55, 56, 400, 400/1412, 540, 541, 542, 561, 563, 612, 773, 787, 1084, 1076, 1231/1381 कुल खसरा किता–18 कुल रकबा 9.36 हैक्टर के सम्बंध मे रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैशन शूमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)